न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/127 **दायरा दिनांक : 01.11.2021**

उनवान

1. रूपकंवरबाई पुत्री स्व. कल्याणसिंह पत्नि श्री नारायणसिंह, जाति राजपूत, निवासी खुरी, तहसील अटरू, जिला बारां, राज०
2. सुल्तानबाई पुत्री स्व. कल्याणसिंह पत्नि श्री प्रतापसिंह, जाति राजपूत, निवासी पोस्ट ऑफिस के पीछे रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ (राज०)
3. प्रतापसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह, जाति राजपूत, निवासी पोस्ट ऑफिस के पीछे रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ (राज०)

.... अपीलांट

बनाम

1. ब्रजेशकंवर बाई पुत्री श्री कल्याणसिंह पत्नि श्री शिवराजसिंह, जाति राजपूत, निवासी बोरदा हाल निवासी धानोदा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड, राज०
2. भंवरबाई पुत्री श्री कल्याणसिंह पत्नि श्री भंवरसिंह, जाति राजपूत, निवासी चारभुजा मंदिर के पास, रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ (राज०)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांरा, जिला बांरा

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ओ. पी. मेंहता ।। अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 20.02.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 35/2020/प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 26.10.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थिया रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम दीलोदा, तहसील बारां की आराजी खाता संख्या नया 111 पुराना 74 की जमाबंदी सम्मत 2071–74 खसरा नम्बर 55 रकबा 2.17 हैक्टेयर लगानी 28.21 रूपये, खसरा नम्बर 56/685 रकबा 0.07 हैक्टेयर लगानी 0.91 रूपये, खसरा नम्बर 59/886 रकबा 0.21 हैक्टेयर लगानी 2.73 रूपये कुल 3 किता कुल रकबा 2.45 हैक्टेयर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कुल लगानी 31.85 रूपये स्थित है ग्राम बोरदा की आराजी सम्मत 2070–73 खाता संख्या नया 297 पुराना 159 की आराजी खसरा नम्बर 668 रकबा 1.11 हैक्टेयर लगानी 14.43 रूपये, ग्राम बोरदा की आराजी सम्वत 2070–73 खाता संख्या नया 159 पुराना 150 की आराजी खसरा नम्बर 244 रकबा 1.25 हैक्टेयर लगानी 13.75 रूपये, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.05 हैक्टेयर लगानी 0.55 रूपये, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.15 हैक्टेयर लगानी 1.65 रूपये, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.15 हैक्टेयर लगानी 1.65 रूपये, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.16 हैक्टेयर लगानी 1.76 रूपये, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.03 हैक्टेयर लगानी 0.33 रूपये, खसरा नम्बर 257 रकबा 0.29 हैक्टेयर लगानी 3.19 रूपये, खसरा नम्बर 258 रकबा 0.06 हैक्टेयर लगानी 0.66 रूपये, खसरा नम्बर 259 रकबा 0.21 हैक्टेयर लगानी 2.31 रूपये, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.18 हैक्टेयर लगानी 2.06 रूपये, खसरा नम्बर 411 रकबा 0.21 हैक्टेयर लगानी 3.57 रूपये, खसरा नम्बर 416 रकबा 0.42 हैक्टेयर लगानी 4.20 रूपये, खसरा नम्बर 581 रकबा 0.18 हैक्टेयर लगानी 1.25 रूपये, खसरा नम्बर 667 रकबा 0.01 हैक्टेयर लगानी 0 रूपये, खसरा नम्बर 668/1582 रकबा 0.06 हैक्टेयर लगानी 0.78 रूपये, खसरा नम्बर 954 रकबा 0.12 हैक्टेयर लगानी 1.56 रूपये कुल किता 17 कुल रकबा 3.57 हैक्टेयर कुल लगानी 40.28 रूपये व ग्राम बोरदा की आराजी सम्वत 2070–73 खाता संख्या नया 119 पुराना 116 की आराजी खसरा नम्बर 963 रकबा 3.29 हैक्टेयर लगानी 42.77 रूपये, स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय दिनांक 26.10.2021 से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अपीलान्ट्स व रेस्पोडेंट कम 2 के विरूद्ध एक वाद धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। जिसके साथ आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भी पेश किया था। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.10.2021 को रेस्पोडेंट कम 1 का आवेदन स्वीकार कर अपीलार्थीगण व रेस्पोडेंट कम 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है कि विवादित वाके ग्राम दीलोदा खाता संख्या 111 कुल खसरा 3 किता रकबा रकबा 2.45 हैक्टेयर व वाके ग्राम बोरदा खाता संख्या 159 के कुल खसरा 17 किता रकबा 3.57 हैक्टर एवं खाता संख्या 119 के खसरा नम्बर 963 रकबा 3.29 हैक्टर, खाता संख्या 297 के खसरा नम्बर 668 रकबा 1.11 हैक्टेयर भूमि पर मूल वाद के निर्णय तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जिसकी अप्रसन्नता से यह अपील माननीय न्यायालय पेश की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में भारी भूल की है। खाता संख्या 119 खसरा नम्बर 963 रकबा 3.29 हैक्टर आराजी खातेदार कल्याणसिंह पुत्र फतेहसिंह के नाम दर्ज थी, जिसको कल्याण सिंह ने अपने जीवनकाल में ही गवाह लक्ष्मीचन्द पुत्र गोपाल,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निवासी बोरदा व गवाह खेमचन्द पुत्री गोरीशंकर ब्राहमण, निवासी बोरदा के सामने पंजीयन अधिकारी बारां के समक्ष एक वसीयत प्रताप सिंह पुत्र मोती सिंह, जाति राजपूत के नाम पंजीयन करवादी थी। कल्याण सिंह की मृत्यु के बाद में इन्तकाल नम्बर 543 दिनांक 22.07.2006 को विधिक रूप से न्यायिक जांच करके खोला गया है। दिनांक 22.07.2006 से ही प्रताप सिंह उक्त आराजी खसरा नम्बर 963 रकबा 3.29 हैक्टेयर को शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा काश्त करता चला आ रहा है, जिसकी सहमति प्रार्थिया तथा अप्रार्थी कम 1 ता 3 ने भी दे रखी है। जिसका एक वाद प्रार्थिया द्वारा धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद संख्या 57/2019 दिनांक 11.06.2019 को माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। पूर्व रेस्पोडेंट 1 द्वारा दिनांक 11.06.2019 को अपीलान्ट कम 2 व 3 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र व वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था, जो दिनांक 07.09.2020 को रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा नोट प्रेस कर लिया था। पक्षकारान के मध्य बंटवारा करीब 4 वर्ष पूर्व हो गया था व बंटवारा अनुसार रेस्पोडेंट कम 1 व 2 तथा अपीलान्ट्स कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त समस्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर न करके उक्त आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अपीलान्टगण द्वारा धारा 10 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.10.2021 को मूल वाद में पेश कर निवेदन किया था कि प्रस्तुत वाद के पक्षकारान के मध्य वाद पत्र में विवादित वसीयत पत्र अकृत शून्य घोषित करवाने का एक वाद सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां के यहां विचाराधीन है दोनों वाद एक ही प्रकृति, वाद विषय जो चाहा गया है, वसीयत शून्य घोषित करवाने का, निरस्त करवाने का व पक्षकारान एक ही है। इसलिये प्रस्तुत वाद काननून चलने योग्य नही है। इसलिये न्याय हित में वाद की कार्यवाही स्थगित किया जाना अति आवश्यक एवं न्यायोचित है। अस्तु अधीनस्थ न्यायालय का आदेश/निर्णय काबिल निरस्तनीय है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.10.2021 को धारा 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित उक्त आदेश 26.10.2021 विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। अस्तु अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरुद्ध एवं न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। रेस्पोडेंट कम 1 उक्त आदेश की आड में यदि अपीलार्थी को विवादित आराजियात से बेदखल करने में कामयाब हो गये तो अपीलार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश/निर्णय दिनांक 26.10.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेंमो में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं दौरान बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी कल्याण सिंह पुत्र फतेहसिंह के नाम

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दर्ज थी। गवाह लक्ष्मीचन्द और खेमचन्द की उपस्थिति में वसीयत प्रताप सिंह पुत्र मोती सिंह के पक्ष में कल्याण सिंह ने करवायी थी। वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोला गया जिससे वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। वसीयत रजिस्टर्ड थी। दिनांक 10.06.2019 को पूर्व में दावा पेश किया था जो दिनांक 07.02.2020 को नोटप्रेस में खारिज हो गया। सिविल कोर्ट में वसीयत को चैलेन्ज किया। रेस्पोडेंट का दावा आदेश 7 नियम 11 में खारिज हुआ। विवादित आराजी में कल्याण सिंह की पुत्रियां रूपकंवर, सुल्तानबाई, बृजेशकंवर, भंवरबाई बराबर की हिस्सेदार हैं। वादग्रस्त आराजी के हम खातेदार हैं हमें गलत पाबन्द किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जाये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.01.2021 को वकालतनामा पेश हो गया था, प्रतिवादी को जवाब में कई मौके दिये और दिनांक 12.10.2021 को जवाब बन्द कर दिया। बहस में केवल मुंह जबानी कथन किया है दस्तावेज पेश नहीं किये। कल्याण सिंह की सम्पत्ति होना, पुत्रियां होना अपीलांट ने स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रूपकंवर व भंवर कंवर का इकरारनामा सलंग्न है इस इकरारनामे में लिखा है हमने अपना हिस्सा बेचान कर दिया। कल्याणसिंह की पत्नी प्रेमकंवर ने अपना हिस्सा बृजेश कंवर बाई को वसीयत से दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

प्रार्थिया रेस्पोडेंट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी ग्राम दीलोद व ग्राम बोरदा, तहसील बारां जिसका विस्तृत विवेचन प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में अंकित किया है, में से अपनी माता मृतका प्रेमकंवर द्वारा दिनांक 24.04.2017 को 100/– रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित पंच बंटवारा के अनुसार ग्राम बोरदा की जमाबंदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 159 में से खसरा नम्बर 668 रकबा 1.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 668/158 रकबा 0.06 हेक्टर व खसरा नम्बर 667 रकबा 0.01 हेक्टर को अपने नाम दर्ज करवाने एवं खाता संख्या 159 की शेष आराजी में से अपने नाम हटवाने का कथन किया है। इसी प्रकार ग्राम बोरदा की जमाबंदी सम्वत 2070–2073 की खाता संख्या 119 की खसरा नम्बर 963 रकबा 3.29 हेक्टर आराजी जो मूल खातेदार कल्याण सिंह पुत्र फतेहसिंह की मृत्यु के बाद इंतकाल संख्या 542 दिनांक 20.07.2006 से वसीयत के आधार पर ग्राम पंचायत तुलसा द्वारा दामाद प्रताप सिंह पुत्र मोतीसिंह के नाम गलत रूप से तस्दीक करना बताते हुए इस इंतकाल को निरस्त कर खसरा नम्बर 963 रकबा 3.29 हेक्टर आराजी को प्रार्थिया व अप्रार्थी 1 ता 3 के पक्ष में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

समान रूप से 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज करवा कर अपना 1/4 हिस्सा अलग करवाकर राजस्व रिकार्ड में पृथक से अंकन करवाने का कथन किया है।

ग्राम दीलोद की आराजी खसरा नम्बर 55 रकबा 4.62 हेक्टर, खसरा नम्बर 56/685 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नम्बर 59/686 रकबा 0.21 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.90 हेक्टर आराजी के सन्दर्भ में प्रार्थिया का कथन है कि अप्रार्थिया रूपकंवरबाई द्वारा ग्राम दीलोद की उक्त आराजी में से अपना हिस्सा जर्ये इकरारनामा दिनांक 20.05.2011 को शांतिलाल नागर को विक्रय किया गया जिसका पंजीयन शांतिलाल नागर द्वारा अपनी पुत्र वधु सन्जू बाई पत्नी ललित कुमार के नाम करवाया गया जो वर्तमान में खाता संख्या 190 पुराना 74 नया में खसरा नम्बर 746/55 रकबा 2.45 हेक्टर के रूप में मंजू बाई के नाम दर्ज है। ग्राम दीलोद की आराजी में रूपकंवरबाई द्वारा अपना हिस्सा बेचान करने के बाद भी शेष आराजी जमाबंदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 111 में रूपकंवरबाई का नाम 1/5 हिस्से पर गलत दर्ज है। इसी प्रकार सुल्तानबाई का नाम 1/5 हिस्से में गलत दर्ज है। क्योंकि सुल्तानबाई द्वारा अपने हिस्से के रूप में ग्राम बोरदा की आराजी जमाबंदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 159 में लिया हुआ है। इस प्रकार ग्राम दीलोद की आराजी खाता संख्या 111 के खसरा नम्बर 55 रकबा 2.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 56/686 रकबा 0.07 हेक्टर व खसरा नम्बर 59/686 रकबा 0.21 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.45 हेक्टर में से अप्रार्थिया रूपकंवरबाई व सुल्तानबाई का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर सम्पूर्ण खाता प्रार्थिया के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज करवाने का स्वयं को अधिकारी मानते हुए ताफैसला वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को प्रार्थिया के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात में किसी प्रकार दखल अंदाजी न तो स्वयं करें न अपने किसी प्रतिनिधि से करावें इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अनुतोष चाहा है।

अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने के कई अवसर प्रदान करने के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर अप्रार्थीगण का जवाब बन्द करते हुए उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनकर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय ने यह निर्णय पारित किया कि प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम बोरदा सम्वत 2070–2073 के अनुसार प्रार्थिया का हिस्सा 2/5 एवं अप्रार्थी कम 1 ता 3 का हिस्सा 3/5 दर्ज होना पाया जाता है। नकल जमाबंदी ग्राम बोरदा सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 159 के अनुसार प्रार्थिया का हिस्सा 2/5 तथा अप्रार्थी कम 1 ता 3 का हिस्सा 1/5, 1/5 दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम दीलोदा सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 111 के अनुसार प्रार्थिया का हिस्सा 3/5 तथा रूपकंवर बाई व सुल्तानकंवर बाई का हिस्सा1/5 – 1/5 दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम बोरदा सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 119 के अनुसार प्रताप सिंह पुत्र मोतीसिंह के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम बोरदा सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 297 के अनुसार प्रार्थिया का हिस्सा 3/5, तथा रूपकंवर बाई, सुल्तानकंवर बाई का हिस्सा 1/5,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1/5 दर्ज है। जमाबंदी ग्राम दीलोदा सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 190 के अनुसार सन्जूबाई पत्नी ललित कुमार के खातेदारी में दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी के प्रार्थिया का हिस्सा 2/5 व 3/5 दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम बोरदा सम्वत 2038–2057 के अनुसार कल्याणसिंह पुत्र फतेहसिंह, जाति राजपूत के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम दीलोदा सम्वत 2067–2070 खाता संख्या 74 के अनुसार प्रार्थिया व अप्रार्थी कम 1 ता 3 व उनकी माता प्रेमकंवर बाई के खातेदारी में दर्ज है। जमाबंदी के कालम संख्या 12 से 17 के अनुसार जर्ये रजिस्टर्ड हक त्याग प्रेमकंवर बाई के स्थान पर उसके हिस्से पर बृजेश कंवरबाई का नाम दर्ज करने का नोट अंकित है। नकल इकरारनामा दिनांक 20.05.2011 के अनुसार ग्राम दीलोदा की आराजी में से रूपकंवरबाई द्वारा अपने हिस्सा 1/5 का बेचान शांतिलाल को किया जाना पाया जाता है। इससे यह साबित होता है कि ग्राम दीलोदा की भूमि में रूपकंवरबाई द्वारा बेचान किया जा चुका है तथा प्रेमकंवर बाई द्वारा बृजेश कंवर को अपना हिस्सा हक त्याग किया जा चुका है। इससे यह साबित होता है कि रूपकंवरबाई ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया जा चुका है, इसलिए उनका उक्त भूमि में कोई हिस्सा नहीं है तथा प्रार्थिया का उक्त भूमि में 2/5 हिस्सा दर्ज है। यदि विवादित भूमि में अप्रार्थीगण को जबरन बल पूर्वक कब्जा कर प्रार्थिया को बेदखल कर दिया तो प्रार्थिया को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक पक्षकारान को मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

अपीलांट अप्रार्थीगण 2 ता 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 119 खसरा नम्बर 963 रकबा 3.29 हेक्टर आराजी की वसीयत खातेदार कल्याण सिंह ने अपने जीवनकाल में गवाह लक्ष्मीचन्द व खेमचन्द के सामने पंजीयन अधिकारी बारां के समक्ष प्रतापसिंह पुत्र मोतीसिंह, जाति राजपूत के नाम पंजीयन करवा दी थी। कल्याण सिंह की मृत्यु के बाद इंतकाल नं. 543 दिनांक 22.07.2006 विधिक रूप से न्यायिक जांच करके खोला गया है। तभी से प्रतापसिंह उक्त आराजी पर काबिज काश्त है, जिसकी सहमति प्रार्थिया तथा अप्रार्थी कम 1 ता 3 ने भी दे रखी है। जिसका एक वाद प्रार्थिया द्वारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद संख्या 57/2019 दिनांक 11.06.2019 को पेश किया गया था। जिसे रेस्पोडेंट नं. 1 ने दिनांक 07.09.2020 को नोट प्रेस किया था। पक्षकारान के मध्य बंटवारा करीब 4 वर्ष पूर्व हो गया था व बंटवारा अनुसार रेस्पोडेंट कम 1 व 2 तथा अपीलांट कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। अपीलांट द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु पूर्व में दायर वाद पत्र की प्रमाणित प्रति अपील के साथ प्रस्तुत नहीं की है।

अपीलांट का यह भी कथन है कि अपीलांट द्वारा धारा 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.10.2021 को मूल वाद में पेश कर अधीनस्थ न्यायालय को अवगत कराया था कि प्रस्तुत वाद के पक्षकारान के मध्य वाद पत्र में विवादित वसीयत को शून्य घोषित करवाने का

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

एक वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, दोनों वाद एक ही प्रकृति के हैं व पक्षकारान एक ही है। अतः प्रस्तुत वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है। न्यायहित में वाद की कार्यवाही स्थगित की जाये। अपने इस कथन की पुष्टि हेतु भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया। विधिक प्रावधानों के अनुसार रजिस्टर्ड वसीयत को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। परन्तु प्रार्थिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर मुख्य रूप से खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। जिसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में ग्राम बोरदा की खाता संख्या 119 खसरा नम्बर 963 रकबा 3.29 हेक्टर विवादित आराजी के अतिरिक्त अन्य विवादित आराजीयात ग्राम दीलोद व बोरदा के कम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के सन्दर्भ में कोई विरोधी कथन नहीं किया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी ग्राम बोरदा सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 159 के अनुसार विवादित आराजी में रेस्पोडेंट कम 1 का 2/5 एवं अपीलांट कम 1 व 2 तथा रेस्पोडेंट कम 2 का 3/5 हिस्सा दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम बोरदा सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 159 के अनुसार रेस्पोडेंट नं. 1 का 2/5, अपीलांट कम 1 व 2 तथा रेस्पोडेंट नं. 2 का 1/5, 1/5, 1/5 हिस्सा दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम दीलोद सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 111 के अनुसार रेस्पोडेंट कम 1 का 3/5 तथा अपीलांट कम 1 व 2 का 1/5, 1/5 हिस्सा दर्ज है। नकल इकरारनामा दिनांक 20.05.2011 के अनुसार ग्राम दीलोद की आराजी में से रूपकंवरबाई द्वारा अपने हिस्से की 1/5 आराजी का बेचान शांतिलाल को करने के बावजूद ग्राम दीलोद की नकल जमाबंदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 111 में रूपकंवरबाई का 1/5 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न एक अन्य नकल इकरारनामा दिनांक 20.05.2011 के अनुसार ग्राम दीलोद की आराजी में से भंवरबाई व सुल्तानबाई द्वारा अपने हिस्से की आराजीयात में से आधा हिस्सा, रूपकंवरबाई द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा तथा बृजेशकंवरबाई के 2/3 हिस्से में से 3 बीघा 2 बिस्वा आराजी का बेचान शांतिलाल को किया है। ग्राम दीलोद की जमाबंदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 190 के अनुसार खसरा नम्बर 746/55 पूर्वी रकबा 2.4500 हेक्टर सन्जू बाई पत्नी ललित कुमार के नाम दर्ज है। ग्राम दीलोद की नकल जमाबंदी सम्वत 2071–2074 की खाता संख्या 111 में दर्ज खातेदारों के हिस्से व उनके द्वारा शांतिलाल के पक्ष में किये गये बेचान में विरोधाभास की स्थिति है। इसी प्रकार ग्राम बोरदा खाता संख्या 119, खसरा नम्बर 963 रकबा 3.29 हेक्टर आराजी खातेदार प्रताप सिंह पुत्र मोतीसिंह को खातेदार कल्याणसिंह द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत के माध्यम से प्राप्त होना अपीलांट को स्वीकार है। प्रार्थिया रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा वसीयत को फर्जी बताया गया है। वसीयत रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड विवाद की स्थिति

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

में उसका वसीयत के निष्पादन के समय उसे अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करने वाले ग्रवाहों के द्वारा प्रमाणित करना आवश्यक है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के मध्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी के कम में विवाद की स्थिति है जिसका अंतिम रूप से निर्धारण मूल वाद के फैसले में होना है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय से पक्षकारान को मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया है। प्रकरण के विवादित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/02/2025

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा